जयपुर मेट्रो फेज़-2 की डी.पी.आर. भविष्य की जरूरत देखते हुए बनाई जाये : भजनलाल शर्मा

- मुख्यमंत्री ने जयपुर मेट्रो-फेज 2 की बैठक में कहा, ''आमजन की सुगमता को देखते हुए निर्धारित करें मेट्रो का रूट''
- 'मेट्रो विस्तार से जयपुर में यातायात प्रबंधन को मिलेगी मजबूती'

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को मेट्रो कॉरिडोर (फेज-2) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के संबंध में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेट्रो फेज-2 की डीपीआर में प्रस्तावित सीतापुरा से अंबाबाड़ी तथा विद्याधर नगर तक भविष्य की आवश्यकता तथा आमजन की सुगमता को देखते हुए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएं।

उन्होंने कहा कि जयपुर एक ऐतिहासिक और तेजी से बढ़ता शहर है और मेट्रो का विस्तार यहां की बढ़ती आबादी और यातायात दबाव को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार की मंशा है कि जयपुरवासियों के लिए सुगम एवं अत्याधुनिक परिवहन तंत्र विकसित किया जाए जिससे जयपुर स्मार्ट सिटी की दिशा में देशभर में मॉडल शहर बने। शर्मा ने कहा कि मेट्रो फेज-2 के तहत प्रोजेक्ट में खर्चे व लागत का समुचित आकलन किया जाये ताकि वित्तीय संसाधनों का सदुपयोग होने के साथ ही आमजन के लिए भी बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मेट्रो की डीपीआर में प्रस्तावित रूट, अनुमानित लागत, परियोजना की व्यवहार्यता तथा वित्तीय मॉडल की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को मेट्रो कॉरिडोर फेज-2 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के संबंध में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के सीएमडी वैभव गालरिया, जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त आनंदी सहित जयपुर मेट्रो से संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजना में आमजन की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए रूट का निर्धारण किया जाए। उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशन ऐसे स्थानों पर बनाए जाएं जो आम लोगों की पहुंच में हों, और इसके साथ-साथ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के नजदीक मेट्रो स्टेशन बनाया जाना सुनिश्चित करें जिससे मेट्रो की उपयोगिता अधिकतम हो। बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने मेट्रो परियोजना के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) आलोक गुप्ता, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के सीएमडी वैभव गालरिया, जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त आनंदी सहित जयपुर मेट्रो से संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

भरतपुर में खननकर्ताओं पर 180 करोड़ रु. का जुर्माना

- अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ 339 कार्रवाई में 168 वाहन मशीनरी जब्त
- उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा सहित अन्य स्थानों के साथ ही भरतपुर जिलें में की कार्रवाई

जयपुर। राज्य के माइन्स विभाग द्वारा राज्यभर में कार्रवाई जारी है। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा सहित अन्य स्थानों के साथ ही भरतपुर जिलें में पहाड़ी तहसील के खनन क्षेत्रों में एक दर्जन से अधिक स्थानों/खानों पर औचक कार्रवाई कर खननकर्ताओं पर 180 करोड़ रुपए का जुर्माना लगया है। माइन्स विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई के दौरान खननकर्ताओं द्वारा रवन्नाओं के दुरुपयोग, बिना रवन्ना के खनिजों का अवैध निगर्मन, अवैध खनन व गैप एरिया में अवैध खनन करना पाया गया।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा समय समय पर विभागीय समीक्षा बैठकों के दौरान और गत 2 अप्रेल को आयोजित खान विभाग की समीक्षा बैठक में अवैध खनन गतिविधियों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करने के निर्देश देते रहे हैं। विभाग द्वारा 2 अप्रेल से 9 अप्रेल के दौरान में अवैध खनन, खनिज परिवहन और खनिज भण्डारण के विरुद्ध 339 कार्रवाई करते हुए 168 वाहन मशीनरी जब्त की है।

इस दौरान समूचे प्रदेश में 24 हजार 950 टन से अधिक अवैध भण्डारित खनिज जब्त किया गया है वहीं अलग अलग पुलिस थानों में 43 एफआईआर दर्ज कराई गई है और 26 गिरफ्तारी हुई है। एक करोड़ 97 लाख रुपए का जुर्माना वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है।

निदेशक माइन्स दीपक तंवर ने बताया कि विभाग की विशेष टीम ने भरतपुर जिले की पहाड़ी तहसील के छपरा, घौलेट और नांगल आदि गांवों की एक दर्जन से अधिक खानों के मुआयना के दौरान व्यापक स्तर पर अनियमितता पाये जाने पर अवैध खनन का आकलन कर 180 करोड़ रुपए से अधिक की शास्ति लगाई गई है। इनमें पहाड़ी के छपरा गांव में 3 स्थानों, ग्राम धौलेट में 5 स्थानों और नांगल ग्राम के 6 स्थानों पर खानधारकों द्वारा रवन्नाओं के दुरुपयोग, बिना रवन्ना के खनिज निगर्मन और गेप एरिया में अवैध खनन के मामलें सामने आये हैं। विभाग द्वारा अवैध खनन का अलग अलग आकलन कर सब पर अलग अलग कुल मिलाकर 180 करोड़ रु. की शास्ति लगाई है।

केन्द्र सरकार की प्रदेश को विशेष सौगातें, मुख्यमंत्री ने आभार जताया

- राष्ट्रीय राजमार्ग-458 के रायपुर-जस्सा खेड़ा खंड से सड़क निर्माण के लिए 394.03 करोड़ रुपये स्वीकृत
- रामदेवरा से पोकरण के बीच भैरव गुफा एवं कैलाश टेकरी होकर नई रेल लाइन स्वीकृत

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी को उत्कृष्ट बनाने की दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा दी गई स्वीकृतियों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी एवं केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में प्रदेश के विकास को नई गति मिल रही है। केन्द्र सरकार द्वारा दी गई इन विशेष सौगातों से प्रदेश में रेल एवं सड़क तंत्र सुदृढ होगा तथा आमजन को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने राजस्थान में 394.03 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-458 के रायपुर-जस्सा खेड़ा (लंबाई 7.95 किमी, पैकेज-2) खंड से पेव्ड शोल्डर एलिवेटेड संरचना के साथ 2-लेन के निर्माण की स्वीकृति दी है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-58 के जंक्शन से लाडनू में शुरू होकर जस्सा खेड़ा तक जाता है। इस खंड के विकास के बाद भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की यात्रा 38 किमी कम हो जाएगी तथा इससे बर और पिपलिया कलां औद्योगिक पार्क से कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। इस परियोजना में टॉडगढ़-रावली वन्यजीव अभयारण्य में आने वाले 7.95 किमी खंड पर एलिवेटेड संरचना का निर्माण भी किया जाएगा। वहीं, केन्द्र सरकार की ओर से प्रदेश में रामदेवरा से पोकरण के बीच भैरव गुफा एवं कैलाश टेकरी होकर नई रेल लाइन की स्वीकृति मिली है। इससे बीकानेर और जोधपुर से जैसलमेर की रेल यात्रा में लगभग 45 मिनट की बचत होगी।

महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर शुभकामनाएं

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती (11 अप्रेल) के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फूले को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने गरीब, पिछड़े, दलित एवं शोषित वर्ग के उत्थान तथा सामाजिक जड़ताओं व कुरीतियों को दूर करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने महिलाओं के कल्याण व महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में भी अहम योगदान दिया। समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष के प्रति समर्पण के कारण उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई।

वक्फ संशोधनों के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आंदोलन

तहफ्फुज-ए-औकाफ राजस्थान की अगुवाई में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले जयपुर स्थित मुस्लिम मुसाफ़िरख़ाने में प्रेस वार्ता आयोजित की गई।

जयपुर। संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक के ख़िलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। बोर्ड ने इन संशोधनों को इस्लामी परंपराओं, धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक सौहार्द और भारतीय संविधान के विरुद्ध बताया है। बोर्ड का कहना है कि वक्फ संपत्तियों पर सरकार द्वारा किए गए हालिया संशोधन मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर सीधा हमला हैं। राजस्थान में इस आंदोलन की अगुवाई तहफ्फुज-ए-औकाफ राजस्थान द्वारा की जा रही है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले राजधानी जयपुर स्थित मुस्लिम मुसाफ़िरख़ाने में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह किसानों के खिलाफ लाए गए कृषि कानूनों को व्यापक विरोध के बाद सरकार को वापस लेना पड़ा था, उसी प्रकार वक्फ संशोधनों के खिलाफ भी व्यापक और लोकतांत्रिक विरोध किया जाएगा। वक्ताओं ने वक्फ संशोधनों को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि इसे बिना संवाद और विचार-विमर्श के पारित किया गया है, जो गंभीर चिंता का विषय है।

राजस्थान में आंदोलन के कन्वीनर और जमात-ए-इस्लामी हिंद राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद नाज़िमुद्दीन ने बताया कि 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक 'वक्फ बचाओ' अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान गली-मोहल्लों से लेकर जिला मुख्यालयों तक विरोध प्रदर्शन, जनजागरूकता सभाएं, पदयात्राएं और सोशल मीडिया अभियानों का आयोजन किया जाएगा।

सेवा में नियमित मानते हुए पेंशन परिलाभ देने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 35 साल की सेवा में बाद दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के तौर पर पांच साल पहले रिटायर हुए कर्मचारी को 10 अप्रैल, 2006 की कट ऑफ डेट से नियमित मानते हुए उसे समस्त पेंशन परिलाभ देने के आदेश दिए हैं। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश डीके शर्मा की ओर से 20 साल पहले दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि अन्य कर्मचारियों की तरह याचिकाकर्ता को साल 2006 में ही नियमित कर दिया जाना चाहिए था।

याचिका में अधिवक्ता हितेश बागड़ी ने बताया कि याचिकाकर्ता चिकित्सा विभाग, कोटा में साल 1985 में एलडीसी पद पर दैनिक वेतनभोगी के तौर पर लगा था। तय प्रोजेक्ट पूरा होने पर उसे उसी साल हटा दिया गया। वहीं बाद में लेबर कोर्ट के आदेश पर उसे पुनः सेवा में लिया गया। याचिकाकर्ता ने विभाग में प्रार्थना पत्र पेश कर उसे नियमित करने की गुहार की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। वहीं याचिका के लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार ने 27 फरवरी, 2009 को अधिसूचना जारी कर प्रावधान किया कि 10 अप्रैल, 2006 तक दस साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों नियमित किया जाएगा। इसके बावजूद भी उसे नियमित नहीं किया गया। जबकि वह सीएमएचओ की ओर से जारी सूची में भी शामिल था। वहीं साल 2020 में वह दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के तौर पर ही रिटायर हो गया।

इसका विरोध करते हुए विभाग के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को प्रोजेक्ट विशेष के लिए लिया गया था और प्रोजेक्ट पूरा होने पर उसे हटाया गया। वहीं उसे कोर्ट की दखल के बाद वापस सेवा में लिया गया। सीएमएचओ ने भी गलत व्याख्या कर उसे सूची में शामिल किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को कट ऑफ डेट से नियमित मानते हुए पेंशन परिलाभ देने को कहा है।

शादी का झांसा देकर देह शोषण करने वाले अभियुक्त को सजा

जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर, द्वितीय ने युवती को शादी का झांसा देकर उसका दो साल तक देह शोषण करने वाले अभियुक्त सुनील कुमार को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरुण जाटावत ने बताया कि घटना को लेकर पीडिता ने 16 जनवरी, 2019 को करणी विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा कि शहर के पुस्तकालय में उसकी पहचान अभियुक्त से हुई थी। इस दौरान अभियुक्त ने उसे अविवाहित बताते हुए शादी का झांसा दिया। अभियुक्त ने उसे होटल ले जाकर संबंध बनाए। वहीं बाद में गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी कर दिया। इसके बाद कुछ माह पहले अभियुक्त ने उसे एक फ्लैट में रखकर आए दिन देह शोषण किया। इस दौरान उसे पता चला कि अभियुक्त विवाहित है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीडिता उसकी मां के फ्लैट में रह रही है। जब उसने फ्लैट खाली कराने के लिए कहा तो पीडिता ने उसे हड़पने की नीयत से झूठा मामला दर्ज करा दिया। पीडिता अभी भी उसी फ्लैट में रह रही है और उनका किराया अधिकरण कोर्ट में मुकदमा भी लंबित है।

पी.डब्ल्यू.डी. का इंजीनियर निकला करोड़ों रुपये की संपत्ति का मालिक

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिशाषी अभियंता (एक्सईएन) हरिप्रसाद मीणा के जयपुर और दौसा सहित पांच ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। एसीबी के मुताबिक मीणा पर आय से लगभग 200 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। टीम ने कई दस्तावेज, पासबुक, प्रॉपर्टी डील, डिजिटल डेटा आदि को जब्त किया है।

पुलिस महानिदेशक एसीबी रविप्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड दूदू जिला जयपुर में पोस्टेड एक्सईएन हरिप्रसाद मीणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। जिस पर गुरूवार की सुबह एक्सईएन के 5-6 ठिकानों सर्च किया जा रहा है। इनमें दूदू के गांव बगड़ी और जगतपुरा में उसके घर सहित ऑफिस में भी एसीबी के अधिकारी सर्च कर रहे है। एसीबी की प्रारंभिक जांच में हरिप्रसाद मीणा के पास कई बेनामी संपत्तियां और लग्जरी सुविधाएं सामने आई हैं। दो ऑडी कारें, एक स्कॉर्पियो, फोर्ड एंडेवर एसयूपी और रॉयल एनफील्ड बाइक, यूनिक एम्पोरिया और यूनिक न्यू टाउन अपार्टमेंट्स में तीन महंगे फ्लैट, दौसा के बगड़ी गांव में एक फार्म हाउस, विदेश यात्राओं और लग्जरी होटलों में ठहरने का भी ब्यौरा मिला है। इसके अलावा 19 बैंकों में खाते हैं। जिनमें करोड़ों के लेनदेन की जानकारी भी सामने आई है। साथ ही बैंकों से लिए भारी लोन को भी कम समय में चुकाने की जानकारी सामने आई है।

आरोपी हरिप्रसाद मीणा के घर मिली ऑडी कार।

आरोपी हरिप्रसाद मीणा

- एक्सईएन हरिप्रसाद मीणा के जयपुर और दौसा सहित 5 ठिकानों पर एसीबी ने छापेमारी की

प्रारंभिक जांच में कई बेनामी संपत्तियां, कई लग्जरी गाड़ियां, यूनिक एम्पोरिया और यूनिक न्यू टाउन अपार्टमेंट्स में तीन महंगे फ्लैट, दौसा के बगड़ी गांव में फार्म हाउस, विदेश यात्राओं और लग्जरी होटलों में ठहरने का ब्यौरा मिला है।

इसके अलावा 19 बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिनमें करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ है। ए.सी.बी. टीम ने मौके से दस्तावेज, पासबुक, प्रॉपर्टी डील, डिजिटल डेटा आदि जब्त किया

अधिशाषी अभियंता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की मिली थी शिकायत, पूछताछ में और भी कई खुलासे होने की आशंका है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र कुमार ने बताया कि सर्च में एक्सईएन के यहां कई एग्रीकल्चर जमीनों के भी दस्तावेज भी मिले हैं। मीणा ने विदेश यात्राओं और महंगी होटलों में रुकने में करीब 45 लाख रुपए भी खर्च किए हैं। साथ ही एक्सईएन ने जयपुर के अलावा दौसा में भी जमीनों में इन्वेस्ट किया है। उसने लालसोट में एक लग्जरी फार्म हाउस भी बना रखा है। आरोपी और परिवारजनों के करीब 19 बैंकों में खाते हैं जिन से करोड़ों का लेनदेन हुआ है। एक्सईएन ने सरकारी नौकरी में आने से अब तक करीब चार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जमा की है। जो कि जो कि उनकी आय से करीब 200 प्रतिशत अधिक है। फिलहाल आरोपी एक्सईएन से उसके जगतपुरा स्थित घर पर पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में और भी कई खुलासे हो सकते हैं।

कुमार ने बताया कि आरोपित हरिप्रसाद मीणा की आय, पद और उनके द्वारा अर्जित संपत्तियों के बीच बड़ा असंतुलन है। सभी दस्तावेजों की जांच जारी है। बहुत जल्द आय से अधिक संपत्ति का पूरा मूल्यांकन कर केस दर्ज किया जाएगा। यदि जांच में संपत्तियों की पुष्टि होती है और स्त्रोतों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो एसीबी जल्द ही मीणा की गिरफ्तारी कर सकती है।

भारत निर्वाचन आयोग के प्रशिक्षण कार्यक्रम ने गति पकड़ी

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर में जमीनी स्तर तक चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की क्षमता वृद्धि के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने के व्यापक अभियान की शुरुआत कर दी है। इस क्रम में आयोग के प्रशिक्षण संस्थान इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के 231 चुनाव अधिकारियों के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को आरम्भ हुआ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने चुनावी प्रक्रिया में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी दी।

कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में बोनस अंक का लाभ नहीं देने पर मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तकनीकी शिक्षा विभाग में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती-2024 में अनुभव के आधार पर बोनस अंक का लाभ नहीं देने पर राज्य सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश किशोर कुमावत व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 11 मार्च, 2024 को तकनीकी शिक्षा के 13 ट्रेड के लिए 1821 पदों पर भर्ती निकाली। भर्ती में अनुभव के आधार पर बोनस अंक देने का प्रावधान ही नहीं रखा गया है। जबकि याचिकाकर्ता लंबे समय से तकनीकी शिक्षा विभाग में गेस्ट फैकल्टी और संविदा पर काम कर रहे हैं। याचिका में कहा गया कि चिकित्सा और शिक्षा सहित अन्य विभागों की भर्तियों में अनुभव के आधार पर बोनस अंक देने का प्रावधान है। इसके बावजूद इस भर्ती में याचिकाकर्ताओं को बोनस का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को बोनस अंकों का लाभ दिया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

अनुभव प्रमाण पत्र की जांच कर नियुक्ति देने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा विभाग को कहा है कि वह नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में याचिकाकर्ताओं के अनुभव प्रमाण पत्र की जांच कर उन्हें समस्त परिलाभ सहित नियुक्ति दे। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश धीरज शर्मा सहित करीब दो दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में आवेदन किया था। उनके पास विभाग की ओर से जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी है। वहीं विभाग की ओर से जारी अंतरिम चयन सूची में याचिकाकर्ताओं को शामिल किया गया, लेकिन बाद में अंतिम मेरिट लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया।

सर्वव्यापी एवं सर्वस्पर्शी का भाव ही भारत माता की सच्ची सेवा : निम्बाराम

- राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) प्रदेश कार्यकारिणी बैठक जयपुर में संपन्न

जयपुर। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में संपन्न हुई। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती एवं मां भारती के चित्रों के समक्ष माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना से हुआ।

संगठन के प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि बैठक में तीन सत्र आयोजित हुए। प्रथम सत्र में संगठनात्मक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की चर्चा, समीक्षा तथा आगामी सत्र के लिए निर्धारित पंचांग की जानकारी दी गई। द्वितीय सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजस्थान क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम का पाथेय प्राप्त हुआ एवं तृतीय सत्र में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का उद्बोधन हुआ।

प्रथम सत्र में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने सभी कार्यकर्ताओं को नववर्ष 2082 की मंगलमय शुभकामनाओं के साथ पिछले वर्ष 225637 सदस्यता के कीर्तिमान स्थापित करने के लिए एवं पिछले सत्र के प्रधानाचार्य संवाद कार्यक्रम, महिला विचार गोष्ठियों में 10 हजार से अधिक महिला शिक्षकों की सहभागिता, अभ्यास वर्गों के आयोजन की अभूतपूर्व सफलता के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने 14 अप्रैल को समरसता दिवस एवं 18 जुलाई को गुरु वंदन कार्यक्रम पर प्रत्येक उप शाखा के प्रत्येक पीईईओ स्तर पर विचार गोष्ठी के आयोजन की बात रखी। उन्होंने सदस्यता अभियान के पूर्ण कार्यक्रम को विस्तार से कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा एवं इस बार सदस्यता 3 लाख पार करने की बात कही। उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान 1 मई से 14 मई के मध्य चलेगा।

प्रदेश संगठन मंत्री घनश्याम ने कार्यकर्ताओं से समय का पालन करने और सदस्यता अभियान में संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि हमें संगठन के कार्यों को पूर्ण करने के साथ-साथ शिक्षक के रूप में भी विद्यार्थियों और समाज के प्रति अपने दायित्व को शत प्रतिशत पूर्ण करना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों से अध्यापन के साथ-साथ विद्यार्थियों के पंचकोषीय मन, शरीर, आत्मा, बुद्धि और वृत्ति के विकास की बात कही।

कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम ने कहा कि आज हमारे समाज के प्रत्येक कार्य में पुरुष एवं महिलाओं दोनों का समान योगदान है। अतः संगठन की प्रत्येक इकाई में महिला कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने सभी शिक्षकों एवं कार्यकर्ताओं से सदैव सर्वव्यापी एवं सर्वस्पर्शी का भाव मन में रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि एक जीवंत और सतत संगठन है। अतः हमारी सोच सबको साथ लेकर चलने वाली होनी चाहिए। संगठन में प्रत्येक स्तर पर उचित सामाजिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए।